



मध्यप्रदेश राज्यपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 288]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जुलाई 2014—आषाढ़ 20, शक 1936

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2014

क्र. डी-15-33-2007-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञाप्ति) नियम, 2009 के नियम (3) के उपनियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, उपरोक्त नियम के लिये इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-33-2007-चौदह-3, दिनांक 1 मार्च 2008 को अतिथित करते हुए “प्रबंध संचालक” मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को विशेष अनुज्ञाप्ति प्रदान करने, नवीनीकृत करने या देने से इंकार करने प्रयोजन के लिये प्राधिकारी/अधिकारी अधिसूचित करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2014

क्र. डी-15-33-2007-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 11 जुलाई 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.
Bhopal, the 11th July 2014

No. D. 15-33-2007-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by sub-rule of (1) of (3) of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, (Special License for more than one market areas) Rules, 2009 and in Suppression of this Department Notification No. D. 15-33-2007-XIV-3, dated 1st March 2008, the State Government, hereby notify to the Managing Director of Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board as Authority/Officer for the purpose for granting, renewing for refusing to grant the special license.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.